162

संख्या–749/XVIII(II)/2010–18(18)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 6-8- 2012

विषयः–नई टिहरी के समीप सुरसिंगधार के राजकीय ए0एन0एम0 स्कूल के समीप ग्राम काण्डा के भूँचैली नामे तोक में राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 2.880 है0 भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–1612/भूमि हस्ता0/नर्सिंग कालेज/2011–12 दिनांक–21.03.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या–2194/XVIII(II)/2011-18(32)/2011 दिनांक–12.12.2011, जिसके द्वारा नरेन्द्रनगर के समीप ग्राम सौनी मध्ये सरोली नामे तोक में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 0.952 है0 निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, को अवक्रमित करते हुए राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु तहसील टिहरी की पट्टी सारज्यूला के अन्तर्गत ग्राम काण्डा के भूँचैली नामे तोक में आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता संख्या–7 के खसरा संख्या–1300/3 रकबा 0.990 है0, खसरा संख्या–110 एवं 1296/2 रकबा 0.910 है0 एवं खसरा संख्या–1296/1 एवं 1300/2 रकबा 0.980 है0 कुल रकबा 2.880 है0 भूमि, जो श्रेणी–9(3)ड़ बंजर भूमि (कृषि योग्य) के रूप में दर्ज अभिलेख है, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 में निहित प्राविधानों एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0संख्या–1459 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्ड़ल पौड़ी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।